परिपत्र संख्या 12/11

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/11/ 21695—22068   दिनांकः 20-9-11

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर

2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन
   एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राज0

3. समस्त उप पंजीयकगण,
   राजस्थान

परिपत्र

विषयः पंजीयन अधिनियम, 1908 की अनुसूची के अनुच्छेद–VIII के तहत प्रतिलिपि स्केनिंग तथा निरीक्षण फीस कृषि प्रयोजनार्थ बंधक–पत्रों पर समाहित मानकर वसूली के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

पंजीयन अधिनियम, 1908 की अनुसूची के अनुच्छेद–VIII के तहत प्रतिलिपि स्केनिंग तथा निरीक्षण फीस कृषि प्रयोजनार्थ बंधक–पत्रों पर समाहित मानकर वसूली के संबंध में उत्पन्न भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने एवं महालेखाकार जांच दल द्वारा इस संबंध में आक्षेपों का गठन किये जाने के कारण इस विषय पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(106)वित्त/कर/10 दिनांक 05.8.11 द्वारा इस संबंध में मार्गदर्शन दिया गया, जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है :–

"पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–58 में पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इस धारा में दोनों श्रेणी के दस्तावेजों का वर्णन है जिन पर पृष्ठांकन किया जाना है और जिन पर पृष्ठांकन नहीं किया जाना है। जिन दस्तावेजों पर पृष्ठांकन आवश्यक नहीं है, वे हैं– ***a copy of decree or order or a copy sent to registering officer under section 89.*** *अतः कृषि प्रयोजनार्थ बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के एवज में निष्पादित बंध–पत्रों के दस्तावेज धारा–89 में सम्मिलित होने के कारण ऐसे दस्तावेजों पर पृष्ठांकन आवश्यक नहीं है। साथ ही ऐसे दस्तावेजों से संबंधित सम्पत्ति के निरीक्षण का भी प्रावधान नहीं है।*

अतः कृषि प्रयोजनार्थ स्वीकृत ऋण के एवज में बैंक द्वारा निष्पादित बंध–पत्रों के पंजीयन के समय उन पर ***CSI*** *फीस देय नहीं है।"*

राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों का पंजीयन उपरौत मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए करें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/11/22069-22155 दिनांकः 20-9-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर